न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :— 11/2020 (जी0सी0एम0एस0 नं0 2020/00026)

उनवानी प्रकरण :—

लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति लोधा निवासी डंडौली पुलिस थाना मंनिया जिला धौलपुर ———————————————— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर ——————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से :— श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर अभिभाषक
2. अप्रार्थी की ओर से :—सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट न्यायालय धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 10.10.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति लोधा निवासी डंडौली पुलिस थाना मंनिया जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 01/1991 जो कि दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था जिसको आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 16.11.2017 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1593 दिनांक 26.04.2018 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी के विरूद्व थाना हाजा पर (1) मु0नं0 218/97 धारा 420 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 177 दिनांक 23.08.1997 पंजीबद्व है जिसमें दिनांक 01.03.2001 को राजीनामा होने का रिकार्ड में इन्द्रांज है। (2) मु0नं0 53/2005 धारा 323,341 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 45 दिनांक 31.03.2005 पंजीबद्व है जिसमें दिनांक 25.06.2007 को सजा जुर्माना एक हजार रूपये होने का रिकार्ड में इन्द्रांज है। (3) मु0नं0 130/2005 धारा 323,341,336 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 82 दिनांक 25.05.2005 पंजीबद्व है जिसमें

दिनांक 28.11.2005 को राजीनामा होने का रिकार्ड में इन्द्रांज है। (4) मु0नं0 22/2007 धारा 323,341,325,34 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 15 दिनांक 31.01.2007 पंजीबद्व है जिसमें दिनांक 24.05.2007 को राजीनामा होने का रिकार्ड में इन्द्रांज है अंकित करते हुये प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 01/1991 को दिनांक 10.09.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2020 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 10.09.2018 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई के साथ–साथ प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 13.02.2020 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थी/अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली/नवीनीकरण के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 4755 दिनांक 30.08.2022 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी लक्ष्मणसिंह के विरूद्व चार आपराधिक प्रकरण दर्ज है। (1) मु0नं0 218/97 धारा 420 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 177 दिनांक 23.08.1997 किता की जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2001 को जरिये राजीनामा बरी किया है। (2) मु0नं0 53/2005 धारा 323,341 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 45 दिनांक 31.03.2005 किता की जाकर दिनांक 21.07.2005 को पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2007 को एक हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया है। (3) मु0नं0 130/2005 धारा 323,341,336 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 82 दिनांक 25.05.2005 किता की जाकर दिनांक 20.08.2005 को पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2005 को फैसला राजीनामा किया गया है। (4) मु0नं0 22/2007 धारा 323,341,325,34 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 15 दिनांक 31.01.2007 किता की जाकर दिनांक 15.02.2007 को पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2007 को फैसला राजीनामा किया गया है। उक्त सभी मुकद्वमों में अपीलान्ट का चालान हुआ है जो यह दर्शता है कि आवेदक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के पास हथियार का होना किसी भी राय में उचित नहीं है क्योंकि इसके

दुरूपयोग किये जाने की संभावना निरन्तर बनी रहती है। प्रार्थी भले ही उक्त प्रकरणाों में न्यायालय से सजा पाने से बच जाये किन्तु न्यायिक निर्णयों से उसकी मानसिकता नहीं बदल जाती ऐसी सूरत में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को पुनः बहाल किये जाने की अनुशंषा नहीं की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र काफी पुरना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्व पूर्व के चार प्रकरण पंजीकृत होने का उल्लेख किया गया है। उक्त चारो प्रकरण 12 साल पुराने है ये सभी प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त हो चुके है और अपीलान्ट वरी हो चुका है उसके बाद अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरन्तर नवीनीकृत होता रहा है। अपीलान्ट का चाल चलन व चरित्र भी अच्छा रहा है। उक्त रिपोर्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। उक्त राजीनामा पर निर्णत हो चुके चारों प्रकरणों के अलावा आज तक अपीलान्ट के विरूद्व कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अपीलान्ट के विरूद्व कोई भी आपराधिक प्रकरण में आज तक कोई सजा नहीं हुई है। उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा लाइसेन्सी हथियार का किसी भी अपराध में उपयोग नहीं लिया गया है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/1991 को वहाल/नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर आपराधिक पृष्ठभूमि होना पाया गया है। प्रार्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण होने के कारण एवं अनुज्ञापत्रधारी के द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु लोकहित में आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश दिनांक 10.09.2018 के जरिये प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 10.09.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी की समुचित सुनवाई के साथ–साथ प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में

वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें। इस सम्बध में प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। यह सही है कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल-चलन ही महत्वपूर्ण होता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी लक्ष्मणसिंह के विरूद्ध चार आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अंकित किया है (1) मु0नं0 218/97 धारा 420 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 177 दिनांक 23.08.1997 न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2001 को जरिये राजीनामा बरी किया है। (2) मु0नं0 53/2005 धारा 323,341 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 45 दिनांक 31.03.2005 जिसमें **न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2007 को एक हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया है जो उसके आचरण को दर्शाता है।** (3) मु0नं0 130/2005 धारा 323,341,336 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 82 दिनांक 25.05.2005 जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2005 को राजीनामा किया गया है। (4) मु0नं0 22/2007 धारा 323,341,325,34 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 15 दिनांक 31.01.2007 जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2007 को फैसला राजीनामा किया गया है। उक्त सभी मुकद्वमों में अपीलान्ट का चालान हुआ है जो यह दर्शता है कि आवेदक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के पास हथियार का होना किसी भी राय में उचित नहीं है। इस प्रकार इन प्रकरणों में अपीलार्थी को गुणावगुण पर बरी नहीं किया गया है अपितु राजीनामा के आधार पर बरी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का आपराधिक आचरण होना प्रमाणित पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 व 30.08.2022 में प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.1.(13)गृह-9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** प्रार्थी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत नोटिस देकर प्रार्थी का पक्ष सुना जा चुका है। अधिनियम की धारा 17 (3) अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञा पत्र को निलम्बन करने और निरस्त करने की व्यापक शक्तियॉं प्रदान करता है। धारा 17(3)(बी) पब्लिक पीस, पब्लिक सैफ्टी के हित में अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने एवं निरस्त करने का प्राधिकार देती हैं जहॉं अनुज्ञापन अधिकारी ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे। जहॉं तक प्रश्न अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि का है इस हेतु पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि वह लोक शान्ति व सुरक्षा के लिए जिले का उत्तरदायी अधिकारी हैं। आयुध अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज की गई एफ.आई.आर./न्यायालयों के निर्णय/पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर समग्र विचारण के बाद ही हो सकती है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एंव अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञापत्र बहाली /नवीनीकरण करने सम्बन्धी खारिज करते हुए प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/91 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला ★ धौलपुर (राज0)